(घ) क्या इस परियोजना के आसपास का क्षेत्र अनुमेय सीमाओं से ज्यादा प्रदूषित होता जा रहा है ;

(ङ) यदि हां, तो प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं तथा उनके क्या परिणाम रहे ; और

(च) मध्य प्रदेश में ऐसे विस्थापित लोगों की संख्या कितनी है तथा उनमें से कितने लोगों का पुनर्वास किया जा चुका है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) 744 हेक्टेयर ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों और उच्चतम न्यायालय द्वारा समादेश याचिक संख्या 1061/82 वनवासी आश्रम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में वर्णित दिशा-निर्देशों के अनुसार विस्थापितों का पुनर्वास किया जाना है।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) रिहन्द सुपर थर्मल पावर परियोजना मध्य प्रदेश में लोग विस्थापित नहीं होंगे ।

प्रदूषक नियंत्रक उपकरण

833. **श्री अजीत जोगी** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मथुरा तेल शोधक कारखाने द्वारा दिसम्बर 1991 में प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाया गया था;

(ख) यदि हाँ; तो उस पर कुल कितना खर्च आया था ; और

(ग) यदि नहीं तो, प्रदूषण नियंत्रक अधिनियम के अधीन मथुरा तेल शोधक कारखाने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां । मथुरा तेल शोधक कारखाने ने लगभग 11 करोड़ रुपये की लागत से प्रदूषण नियंत्रण उपाय किए हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हिमालय क्षेत्र में वनों का विनाश

834. **कुमारी आलिया** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमालय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वनों का विनाश हो रहा है और पेड़ों की कटाई हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण है ;

(ग) हिमालय क्षेत्र को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा खनन हेतु पट्टे पर दिए गये क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितने क्षेत्र का पट्टा रद्द किए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) और (ख) हिमालय क्षेत्र में वनों का बड़े पैमाने पर विनाश और कटाई नहीं की गई है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा क्रमशः 1981—83 और 1985—87 से सम्बन्धित भूमि उपग्रह प्रतिविम्बिकी के प्रयोग से 1987 और 1989 में किए गए मूल्यांकन के दौरान हिमालयी क्षेत्र में वास्तविक वन आच्छादन 1,87,000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 1,94,161 वर्ग किलोमीटर हो गया है ।

(ग) हिमालयी क्षेत्र के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. वन भूमि के वनेतर प्रयोजनों के लिए प्रयोग को रोकने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 बनाया गया ।

2. राज्य सरकारों से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पहाड़ियों और पर्वतों पर हरे वृक्षों की कटाई पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करने को कहा गया है ।

3. वनों के संरक्षण में ग्रामीण समुदायों को भी भोगाधिकार के आधार पर शामिल करने के सम्बन्ध में राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं ।

4. जी० बी० पन्त हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान अनुसंधान और विकास अध्ययनों में लगा हुआ है ।

(घ) खनन परियोजनाओं के लिए वन भूमि के प्रयोग की अनुमति वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबन्धों के तहत केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से ही दी जाती है । केन्द्र सरकार ने जिन वन क्षेत्रों में खनन के लिए अनुमति दी है, वे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

राज्य का नाम	दिया गया वन क्षेत्र (हैक्टेयर में) (1980 से)
आन्ध्र प्रदेश	4371.42
असम	0.00
बिहार	717.85
गोवा	0.00
गुजरात	107.38
हरियाणा	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.00
कर्नाटक	13.42
केरल	0.00
मध्य प्रदेश	4560.04
महाराष्ट्र	22.65
मणिपुर	0.00
मेघालय	0.00
उड़ीसा	1688.18
पंजाब	0.00
राजस्थान	1.37
सिक्किम	0.00
तमिलनाडु	111.82
त्रिपुरा	0.00
उत्तर प्रदेश	1684.14
पश्चिम बंगाल	0.00
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	8.00
दादरा एवं नागर हवेली	0.00
दमन एवं दीव	0.00
अरुणाचल प्रदेश	0.00
कुल	13286.27

Audit of Industrial Units

835. SHRI KAMAL MORARKA : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether Government have notified the systems of compulsory audit for industrial units ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) in what manner Government propose to make the State Pollution Control Boards more effective ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH) : (a) and (b) Every person carrying on an industry operation or process requiring consent under Section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, or under Section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 or both or authorisation under the Hazardous Waste (Management & Handling) Rules, 1989, shall submit an Environmental Audit Report for the financial year ending the 31st March in the prescribed form to the concerned State Pollution Control Board on or before the 15th day of May every year beginning 1993.